संख्या-9/2025/वे0आ0-2-241/दस-2025-ई0प0सं0-10-27099/13/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद/श्री राज्यपाल सचिवालय,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 2025**

विषय : वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से वर्दी/वर्दी नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ता के संबंध में प्रदान की गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर दी गयी संस्तुतियों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संस्तुतियों पर निम्नवत निर्णय लिये गये हैं :-

विधान सभा/विधान परिषद् के विभिन्न पदों पर अनुमन्य वर्दी/वर्दी नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ता

(क) वर्दी की दरें :--

प्रारम्भिक नियुक्ति के समय वर्दी भत्ता (रूपये में)

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान में लागू दरें/व्यवस्था	पुनरीक्षित दरें/व्यवस्था
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मार्शल/डिप्टी मार्शल	8000	12000
2	रक्षक	वर्दी सिलाकर दिये जाने की वर्तमान में व्यवस्था है।	रू0 8000 की सीमा तक वर्दी सिलाकर दिये जाने की व्यवस्था की जाय।

(ख) वर्दी नवीनीकरण हेतु अनुमन्य दर :--

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान में लागू दरें/व्यवस्था	पुनरीक्षित दरें/व्यवस्था
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मार्शल/डिप्टी मार्शल	8000 (प्रत्येक 05 वर्ष बाद)	12000 (प्रत्येक 03 वर्ष बाद)
2	रक्षक	वर्दी सिलाकर दिये जाने की वर्तमान में व्यवस्था है।	रू0 8000 की सीमा तक वर्दी सिलाकर दिये जाने की व्यवस्था की जाय। (प्रत्येक 03 वर्ष बाद)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग) <u>वर्दी धुलाई की दरें (प्रतिमाह)</u> :--

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान में निर्धारित दरें (रू0 में)	पुनरीक्षित दरें (रू0 में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मार्शल/डिप्टी मार्शल	240	360
2	रक्षक	60	90

<u>श्री राज्यपाल सचिवालय के विभिन्न पदों पर अनुमन्य वर्दी/वर्दी नवीनीकरण भत्ता/वर्दी धुलाई भत्ता</u>

वेतन समिति (2016) द्वारा वर्दी/वर्दी नवीनीकरण, वर्दी धुलाई भत्ता की संस्तुतियों के क्रम में मुख्य सचिव समिति में विचारोपरान्त श्री राज्यपाल सचिवालय के परिसहाय, व्यवस्थापक तथा स्टुवर्ड के लिये वर्दी/वर्दी नवीनीकरण भत्ता अनुमन्य अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के क्रम में मुख्य सचिव समिति में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल सचिवालय के **'शेफ'** को परिसहाय, व्यवस्थापक तथा स्टुवर्ड की भांति नियुक्ति के समय वर्दी सिलाकर दिये जाने तथा प्रत्येक 02 वर्ष के बाद वर्दी नवीनीकरण तथा वर्दी धुलाई भत्ता प्रतिमाह अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

(क) <u>वर्दी की दरें</u> :--

प्रारम्भिक नियुक्ति के समय वर्दी भत्ता (रूपये में)

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान में लागू दरें/ व्यवस्था	पुनरीक्षित दरें/व्यवस्था
(1)	(2)	(3)	(4)
1	परिसहाय	सेना/पुलिस मूल विभाग की व्यवस्था के अनुसार	मूल विभाग की व्यवस्था यथावत् रखी जाय।
2	व्यवस्थापक तथा स्टुवर्ड	वर्दी सिलाकर दिये जाने की वर्तमान में व्यवस्था है।	रू0 8000 की सीमा तक वर्दी सिलाकर दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3	शेफ	-----	रू0 8000 की सीमा तक वर्दी सिलाकर दिये जाने की व्यवस्था की जाय।

(ख) <u>वर्दी नवीनीकरण हेतु अनुमन्य दर</u> :--

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान में लागू दरें/व्यवस्था	पुनरीक्षित दरें/व्यवस्था
(1)	(2)	(3)	(4)
1	परिसहाय	सेना/पुलिस मूल विभाग की व्यवस्था के अनुसार	मूल विभाग की व्यवस्था यथावत् रखी जाय।
2	व्यवस्थापक तथा स्टुवर्ड	वर्दी सिलाकर दिये जाने की वर्तमान में व्यवस्था है।	रू0 8000 की सीमा तक वर्दी सिलाकर दिये जाने की व्यवस्था की जाय। (प्रत्येक 02 वर्ष के बाद)
3	शेफ	-----	रू0 8000 की सीमा तक वर्दी सिलाकर दिये जाने की व्यवस्था की जाय। (प्रत्येक 02 वर्ष के बाद)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग) <u>वर्दी धुलाई की दरें (प्रतिमाह)</u> :--

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान में निर्धारित दरें (रू0 में)	पुनरीक्षित दरें(रू0 में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	परिसहाय	240	360
2	व्यवस्थापक तथा स्टुवर्ड	60	90
3	शेफ	---	90

2- वर्दी/वर्दी नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ता की संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

3- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-9/2025/वे0आ0-2-241(1)/दस-2025, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल।

आज्ञा से,

पुष्पराज,

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।